

राजस्थान-सरकार  
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.  
"पंजीयन-भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.7(37)जन/2017/ 6373-6405

दिनांक : 14/6/2017

समस्त जिला कलक्टर एवं  
जिला पंजीयक,  
राजस्थान


विषय :- उप पंजीयक का कार्य सम्पादित करने बाबत।

उप पंजीयक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की हड़ताल को मध्यनजर रखते हुए पंजीयन कार्य प्रभावित नहीं हो तथा पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राजस्व आय पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिये पंजीयन कार्य को सुचारु रूप से जारी रखने हेतु समुचित किया जाना अति आवश्यक है।

इस व्यवस्था हेतु पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-12 में निम्न प्रावधान है :-

**12. Absence of Sub-Registrar or vacancy in his office:** When any Sub-Registrar is absent, or when his office is temporarily vacant, any person whom the Registrar of the district appoints in this behalf shall be Sub-Registrar during such absence, or until the vacancy is filled up.

अतः उप पंजीयक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की हड़ताल अवधि में उक्त प्रावधान के अंतर्गत आपके जिले के अधीन पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन कार्य हेतु अन्य अधिकारियों को लगाने का श्रम करें।


  
14/6/17  
(डॉ. राजेश शर्मा),  
महानिरीक्षक

क्रमांक : एफ.7(37)जन/2017/ 6406-6966

दिनांक : 14-6-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
4. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को पत्र की प्रति, विभाग की वेबसाइट [igrs.rajasthan.gov.in](http://igrs.rajasthan.gov.in) पर अपलोड कराने हेतु।
6. समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
7. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
8. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

  
(रेणू जयपाल),  
अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन)

Accepted  
14/6/17  
Sh. Ved